



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं० 611] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 1988/अग्रहायण 3, 1910
No. 611] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 1988/AGRAHAYANA 3, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 1988

अधिसूचना

का.आ. 1081(अ).—संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में,
राष्ट्रपति एतद द्वारा यह निर्देश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे उसे
प्रशासक, उप राज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता हो)। राष्ट्रपति के नियंत्रण
के अधीन रहते हुए और अगले आदेशों तक, उस संघ राज्य क्षेत्र के भीतर बाल श्रम

2985GI/88

(1)

(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (1986 का 61) के अधीन राज्य सरकार की शक्तियों का भी प्रयोग करेगा और कार्यों का निष्पादन करेगा ।

[यू-11030/2/88-यू टी एल]

अशोक नाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 24th November, 1983

NOTIFICATION

S.O. 1081(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union territory (whether known as Administrator, Lieutenant Governor or Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and until further orders, also exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 (61 of 1986) within that Union territory.

[No. U-11030/2/88-UTL]

ASHOK NATH, Jt. Secy.